फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत मुकाम .जिला कलक्टर,भरतपुर
ममता बागपतिया बनाम आई.सी.आई.सी.आई बैंक जयपुर
प्रा.पत्र सरफेसी मु.सं. → 63/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28.8.24 | एक प्रार्थना पत्र जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थीया ममता देवी बागपतिया पुत्री एम.एस.बसंल निवासी प्लॉट नं. 18 ई नई मण्डी भरतपुर बाबत इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 19.7.2023 को रिकाल किये जाने प्राप्त हुआ है।<br>प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाईनासिन्सयल एसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 प्रार्थना पत्र नम्बर 17/2023 उनवानी आई.सी.आई.सी.आई बैंक लि0 बनाम मै0 जी0एस0 उद्योग प्रो. अश्वनी बागपतिया वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 19.7.2023 को रिकॉल किया जाकर डी.आर.टी. ट्रव्यूनल के निणर्य होने तक keep it in abeyance रखे जाने की प्रार्थना की गई है।<br><br>प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाईनासिन्सयल एसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 की किस धारा एवं किस अधिनियम/नियमों के तहत पेश किया गया है का कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नही है। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं रहता है। अगर प्रार्थीया को कोई उज्र है तो नियमों के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने को स्वतन्त्र है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो, फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।<br><br>(हस्ताक्षर)<br>जिला कलक्टर<br>भरतपुर | |